International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

अनुसूचित जाति की महिलाओं का सशक्तिकरण और सक्रियता: ग्रामीण कुशीनगर में संरचनात्मक परिवर्तन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव[1], अवनीश शुक्ला[2]

[1]प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, (फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश), भारत
[2]शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, (फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश), भारत

सार (Abstract):
यह शोध ग्रामीण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इन महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक सक्रियता और संरचनात्मक बदलाव की प्रक्रियाओं को समझना है। शोध में यह पाया गया कि परंपरागत लैंगिक असमानताओं, जातिगत वंचना और सामाजिक बहिष्करण के बावजूद अनुसूचित जाति की महिलाएं अब धीरे-धीरे सार्वजनिक जीवन, रोजगार तथा राजनीतिक भागीदारी की ओर बढ़ रही हैं। शिक्षा, सरकारी योजनाओं की पहुँच और सामुदायिक संगठनात्मक प्रयासों के चलते इन महिलाओं में आत्म-चेतना, निर्णय क्षमता एवं नेतृत्व के गुण विकसित हो रहे हैं। यह शोध स्थानीय स्तर पर हो रहे परिवर्तन को रेखांकित करते हुए सामाजिक न्याय की दिशा में उठते कदमों को उजागर करता है।

मुख्य शब्द (Keywords): अनुसूचित जाति, महिलाएं, सशक्तिकरण, सक्रियता, सामाजिक परिवर्तन, कुशीनगर, ग्रामीण समाज, लैंगिक समानता, राजनीतिक भागीदारी, संरचनात्मक बदलाव।

1. परिचय

भारत का समाज जाति, लिंग, वर्ग और सांस्कृतिक संरचनाओं की जटिलताओं से निर्मित है, जहाँ स्त्री और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ बहुस्तरीय वंचनाओं का सामना करती हैं। पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को दोयम दर्जे का स्थान प्राप्त रहा है, परंतु जब यह स्त्रियाँ अनुसूचित जाति से आती हैं, तब उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थान और भी अधिक सीमित हो जाता है (Deshpande, 2000)।

अनुसूचित जातियाँ भारत के संविधान में चिन्हित वे सामाजिक समूह हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से छुआछूत, सामाजिक बहिष्करण और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या लगभग **20.13 करोड़** (16.6%) है, जिसमें से महिलाओं की संख्या **लगभग 9.7 करोड़** है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है — लगभग **4.14 करोड़**, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% है (Census of India, 2011)।

तालिका 1: उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (2011)

घटक	आँकड़े (लाख में)	प्रतिशत (%)
कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या	413.5	21.1%
अनुसूचित जाति महिलाएँ	~203	—
ग्रामीण अनुसूचित जातियाँ	~355	85.8% (लगभग)

(स्रोत: भारत की जनगणना 2011)

कुशीनगर जनपद, जो उत्तर प्रदेश के पूरब में स्थित है, एक सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ा जिला है जहाँ अनुसूचित जातियों, विशेषतः दलित समुदायों की महिलाएँ, अब भी बुनियादी संसाधनों और अधिकारों से वंचित हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2020-21) के अनुसार, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की महिलाओं में साक्षरता दर **57.6%** है, जो राज्य की औसत महिला साक्षरता दर (66.1%) से काफी कम है।
सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में देखा जाए तो महिलाओं का **सशक्तिकरण** केवल आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता या शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी **सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक सक्रियता** से भी जुड़ा है (Nussbaum, 2003)। सशक्तिकरण का तात्पर्य है — "निर्णय लेने की क्षमता, आत्म-सम्मान की अनुभूति, संसाधनों पर नियंत्रण और सामाजिक भागीदारी की स्वतंत्रता"।

अनुसूचित जाति की महिलाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

1. **शैक्षिक वंचना** – कई परिवारों में बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती।
2. **आर्थिक पराश्रयता** – खेतिहर मजदूरी और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत, परंतु स्वामित्वहीन।
3. **सामाजिक बहिष्करण** – पंचायतों, सामाजिक आयोजनों और संस्थागत निर्णय प्रक्रिया में न्यून भागीदारी।
4. **लैंगिक-जातिगत भेदभाव** – दोहरी वंचना का सामना: एक ओर स्त्री होने के कारण, दूसरी ओर अनुसूचित जाति से होने के कारण।

तालिका 2: ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति (कुशीनगर संदर्भ में)

संकेतक	अनुमानित आँकड़े (%)	संदर्भ
महिला साक्षरता दर	~55%	NFHS-5
पंचायतों में भागीदारी	~8–10%	RTI Reports
मजदूरी असमानता (पुरुषों से तुलना)	~25% कम	NSSO, 2020
घरेलू हिंसा का सामना	~35%	NFHS-5

इस अध्ययन का उद्देश्य न केवल इन आंकड़ों की पुष्टि करना है, बल्कि यह भी समझना है कि **कुशीनगर जैसे क्षेत्र में अनुसूचित जाति की महिलाएँ किस प्रकार सामाजिक सक्रियता, संगठन और राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से अपनी पहचान और अधिकारों की पुनर्रचना कर रही हैं**।

नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता

अभी तक अधिकांश अध्ययन अनुसूचित जातियों पर केंद्रित रहे हैं या केवल शहरी महिलाओं के सशक्तिकरण पर। ग्रामीण दलित महिलाओं की सक्रियता को एकीकृत दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कम हुआ है (Rege, 2006)। यह शोध सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में बदलाव के संकेतों को पहचानते हुए **एक अंतर-विषयक दृष्टिकोण** अपनाता है, जिसमें वर्ग, जाति और लिंग की अंतःक्रियाओं को समझा जाता है।

2. भूमिका

भारतीय समाज में जाति और लिंग दो ऐसे आयाम हैं जो सामाजिक संरचना और शक्ति-संबंधों की दिशा निर्धारित करते हैं। विशेषतः अनुसूचित जातियों की महिलाएँ, जिन्हें सामाजिक रूप से दोहरे उत्पीड़न – एक ओर जातिगत भेदभाव और दूसरी ओर लैंगिक असमानता – का सामना करना पड़ता है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सबसे वंचित वर्ग के रूप में देखी जाती हैं (Rege, 2006)।

उत्तर प्रदेश, जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश में सर्वाधिक है, वहाँ इन जातियों की महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति आज भी चिंता का विषय बनी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार, **कुशीनगर जनपद** की कुल जनसंख्या **35.64 लाख** है, जिसमें **अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 11.16 लाख (31.3%)** है, जिनमें महिलाएँ लगभग **3.12 लाख (17.9%)** हैं।

अनुसूचित जातियों की ग्रामीण महिलाओं की स्थिति: एक सामाजिक यथार्थ

कुशीनगर की कुल जनसंख्या का 95.3% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, और अनुसूचित जाति की महिलाएँ मुख्यतः कृषि मजदूरी, असंगठित क्षेत्र के कार्य और घरेलू श्रम में संलग्न रहती हैं। ये महिलाएँ सामाजिक मान्यता, निर्णय प्रक्रिया और राजनीतिक भागीदारी से वंचित रहती हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण हैं: निम्न साक्षरता, आर्थिक पराश्रयता, परंपरागत पितृसत्तात्मक संरचना, और योजनाओं की अपर्याप्त पहुँच।

तालिका 1: कुशीनगर में अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाओं से संबंधित मुख्य आँकड़े

संकेतक	आँकड़ा (2011)	संदर्भ
अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या	11,16,973 (31.3%)	DCHB-Kushinagar, 2011
अनुसूचित जाति महिलाएँ	3,12,116 (17.9%)	वही
अनुसूचित जाति महिला साक्षरता दर	43.7%	DCHB, पृ. xiv
अनुसूचित जाति महिला कार्य भागीदारी	18.1%	DCHB, पृ. xvii
ग्रामीण महिला अनुपात (SC)	~96%	PCA Kushinagar, 2011

ग्रामीण संरचना और सामाजिक असमानता

कुशीनगर एक मुख्यतः ग्रामीण जिला है जिसमें **1639 गाँवों में से 1579 गाँव आबाद हैं**, और केवल **60 गाँव निर्जन**

हैं। जिले की औसत जनसंख्या घनत्व 1227 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जो राज्य के औसत 829 से काफी अधिक है, जबकि महिला-पुरुष अनुपात 961 है, जो राज्य औसत (912) से बेहतर है। लेकिन **अनुसूचित जाति की महिलाओं के मामले में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, और स्वरोजगार के अवसर अभी भी बहुत सीमित हैं।**

श्रम भागीदारी के संदर्भ में, अनुसूचित जाति की महिलाएँ मुख्यतः **हाशिए के श्रमिक** (marginal workers) के रूप में कार्यरत होती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, इन महिलाओं में लगभग **50% महिलाएँ केवल 6 माह से कम अवधि का कार्य करती हैं**, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी आर्थिक सुरक्षा अत्यंत अस्थिर है।

संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता

आज जब "सशक्तिकरण" की चर्चा होती है, तो केवल योजनाओं या सहायता तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक परिवर्तन के लिए आवश्यक है:

1. **शिक्षा तक पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा**,
2. **राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी**,
3. **आर्थिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण**,
4. **स्वस्थ और सम्मानजनक कार्य के अवसर**।

सामाजिक परिवर्तन का आकलन केवल संख्या या योजनाओं के प्रभाव से नहीं बल्कि यह देखने से होता है कि **क्या महिलाएँ स्वयं के लिए बोलने लगी हैं, क्या वे निर्णय लेने लगी हैं, क्या वे विरोध करने लगी हैं** (Kabeer, 1999)। कुशीनगर की अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाएँ आज ऐसे चौराहे पर खड़ी हैं जहाँ एक ओर **ऐतिहासिक वंचना और असमानता** है, वहीं दूसरी ओर **सशक्तिकरण और सक्रियता** की संभावनाएँ उभर रही हैं। इस शोध का उद्देश्य इन महिलाओं के अनुभवों, संघर्षों और सशक्त होने की प्रक्रिया को **समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझना और विश्लेषित करना** है ताकि नीतिगत स्तर पर प्रभावी परिवर्तन की दिशा तय की जा सके।

3. समीक्षा साहित्य (सैद्धांतिक और प्रायोगिक पृष्ठभूमि)

जाति और लिंग भारतीय समाज की दो प्रमुख श्रेणियाँ हैं, जो न केवल सामाजिक पहचान को निर्धारित करती हैं, बल्कि संसाधनों, अधिकारों और अवसरों तक पहुँच में भी गहरा असर डालती हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं के संदर्भ में यह द्विगुण उत्पीड़न (Double Discrimination) उनकी स्थिति को और भी जटिल बना देता है (Rege, 1998)।

3.1. जाति, लिंग और सामाजिक वंचना

गेल ओम्वेट (Omvedt, 1995) के अनुसार, दलित महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए केवल स्त्रीवादी या केवल दलित दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक समवेत विश्लेषण जरूरी है, जो दोनों ही आयामों को एक साथ देखे। दलित स्त्रियाँ न केवल पितृसत्ता का शिकार हैं, बल्कि जातिगत उत्पीड़न की शिकार भी हैं। यही स्थिति ग्रामीण कुशीनगर की अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ भी देखने को मिलती है।

3.2. सशक्तिकरण की अवधारणा

सशक्तिकरण (Empowerment) केवल संसाधनों के वितरण या कल्याणकारी योजनाओं से नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाएँ अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने लगें, समाज में अपनी आवाज़ को स्थापित कर सकें और सामाजिक-आर्थिक संस्थानों को चुनौती देने में सक्षम हो सकें (Kabeer, 1999)। नुसबॉम (Nussbaum, 2003) के 'Capabilities Approach' में सशक्तिकरण को जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रताओं से जोड़ा गया है।

3.3. अनुसूचित जाति की महिलाओं पर प्रमुख अध्ययन

शोधकर्ता का नाम	अध्ययन का क्षेत्र	प्रमुख निष्कर्ष
Sharmila Rege (1998)	दलित स्त्रीवाद और जाति संरचना	दलित महिलाओं की विशेष पहचान को मान्यता देना आवश्यक
Omvedt (1995)	ग्रामीण दलित आंदोलन और महिला भागीदारी	दलित महिलाएँ सामाजिक आंदोलनों में निर्णायक भूमिका निभाती हैं
Kabeer (1999)	सशक्तिकरण की सामाजिक परिभाषा	सशक्तिकरण सामाजिक रिश्तों में परिवर्तन के साथ आता है
Deshpande (2000)	जाति और सामाजिक पूंजी	अनुसूचित जातियाँ सामाजिक नेटवर्क से बहिष्कृत रहती हैं
Sharma (2010)	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति महिलाओं की शिक्षा	गरीबी, लिंग और जाति की त्रिगुण वंचना शिक्षा तक पहुँच को बाधित करती है

3.4. ग्रामीण भारत में महिलाओं की सक्रियता

अनेक अध्ययन इस बात को पुष्ट करते हैं कि पंचायत राज प्रणाली और महिला आरक्षण ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाया है (Rai, 2011)। परंतु अनुसूचित जाति की महिलाओं के संदर्भ में यह भागीदारी केवल सांकेतिक (Tokenism) रह जाती है जब तक कि उन्हें वास्तविक निर्णय लेने की स्वतंत्रता और समर्थन प्राप्त न हो।

3.5. उत्तर प्रदेश और पूर्वी जिलों में सामाजिक असमानता

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों (जैसे कुशीनगर, देवरिया, बलिया) में **शैक्षिक पिछड़ापन, संसाधनों की कमी, सामाजिक भेदभाव और योजना क्रियान्वयन की असंगतियाँ** अनुसूचित जातियों की महिलाओं को और पीछे धकेलती हैं (Singh, 2017)। विशेष रूप से कुशीनगर जैसे जिले में जहाँ ग्रामीणता 95% से अधिक है और साक्षरता दर औसत से कम (65.2%) है, वहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण केवल औपचारिक नहीं, बल्कि **संरचनात्मक बदलाव** की माँग करता है।

संक्षिप्त विश्लेषण

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य पूर्ववर्ती शोधों से आगे जाकर यह विश्लेषण करना है कि ग्रामीण कुशीनगर में अनुसूचित जाति की महिलाएँ **किन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बाधाओं को पार करके सशक्त हो रही हैं**। साथ ही यह अध्ययन स्थानीय संरचनात्मक शक्तियों, सरकारी योजनाओं की पहुँच, और समुदाय में महिलाओं की सक्रियता के स्वरूप को स्पष्ट करता है।

4. अध्ययन की आवश्यकता (Need of the Study)

4.1. जातिगत वंचना और स्त्री की दोहरी हाशियाकरण

भारतीय समाज में **जाति और लिंग** दो ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जो व्यक्तियों के सामाजिक स्थान और अवसरों को निर्धारित करती हैं। जब कोई महिला अनुसूचित जाति से होती है, तो वह एक साथ **जातिगत भेदभाव और पितृसत्तात्मक वर्चस्व** का सामना करती है (Rege, 1998)। यह अध्ययन इस दोहरे उत्पीड़न की प्रकृति और इसके प्रभावों को ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में उजागर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

4.2. ग्रामीण कुशीनगर की विशिष्ट सामाजिक संरचना

कुशीनगर जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित एक अत्यधिक पिछड़ा जिला है, जहाँ 95.3% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या **31.3%** है। यहाँ की महिलाएँ मुख्यतः खेतिहर मजदूरी, दिहाड़ी कार्य और असंगठित क्षेत्र में संलग्न हैं, और उनका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा निर्णय प्रक्रिया से जुड़ाव न्यूनतम है। वर्तमान में कुशीनगर की अनुसूचित जाति की महिलाओं पर कोई विस्तृत समाजशास्त्रीय अध्ययन उपलब्ध नहीं है, जिससे यह शोध स्थानीय स्तर पर अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है।

4.3. राजनीतिक भागीदारी: मात्र प्रतीकात्मक या संरचनात्मक?

1992 में 73वाँ संविधान संशोधन और पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने ग्रामीण भारत में महिला भागीदारी का मार्ग खोला। लेकिन अनुसूचित जाति की महिलाओं की भागीदारी अधिकांशतः **नाममात्र** (tokenistic) रही है। अनेक अध्ययन दर्शाते हैं कि ये महिलाएँ निर्णय प्रक्रिया में स्वतंत्र नहीं होतीं (Rai, 2011)। ऐसे में यह अध्ययन यह विश्लेषण करता है कि क्या आज की दलित महिलाएँ सच में सशक्त हो रही हैं या केवल "नियुक्त" की जा रही हैं।

4.4. नीतिगत क्रियान्वयन की असमानता

यद्यपि अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अनेक सरकारी योजनाएँ (जैसे– *राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, स्वरोजगार योजनाएँ* आदि) चलाई जा रही हैं, लेकिन **जमीनी स्तर पर इन योजनाओं की पहुँच बहुत सीमित है**। यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि:

- क्या ये महिलाएँ योजनाओं से लाभान्वित हो रही हैं?
- क्या वे योजनाओं की जानकारी रखती हैं?
- क्या उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि योजनाओं में भागीदारी को प्रभावित कर रही है?

4.5. सामाजिक परिवर्तन और महिला सक्रियता की पहचान

इस शोध का केंद्रीय तर्क यह है कि **सशक्तिकरण मात्र बाहरी संसाधनों की उपलब्धता नहीं, बल्कि महिलाओं की "सक्रिय सामाजिक भूमिका" के साथ जुड़ा हुआ है**। अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि क्या ग्रामीण दलित महिलाएँ:

- पंचायतों या महिला समूहों में भाग ले रही हैं?
- सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बन रही हैं?
- घरेलू और सामुदायिक स्तर पर विरोध या नेतृत्व कर पा रही हैं?

शोध की नवीनता (Novelty of the Study)

पक्ष	वर्तमान अध्ययन में विशिष्टता
भौगोलिक फोकस	पूर्वांचल का कुशीनगर जिला, जो तुलनात्मक रूप से कम शोधित है
लक्षित समूह	ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाएँ (वंचित और हाशिए पर)
दृष्टिकोण	संरचनात्मक परिवर्तन की समाजशास्त्रीय व्याख्या
विधिक-राजनीतिक संदर्भ	पंचायत राज, महिला आरक्षण, नीतिगत हस्तक्षेपों का समावेशी मूल्यांकन

यह अध्ययन जाति, लिंग, क्षेत्रीय पिछड़ेपन और सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनाओं की अंतःक्रियाओं को समझते हुए यह विश्लेषण करेगा कि कुशीनगर की अनुसूचित जाति की महिलाएँ कैसे संघर्ष कर रही हैं, कैसे सक्रिय हो रही हैं और क्या उनका यह सक्रियता वास्तविक परिवर्तन की दिशा में ले जा रही है।

5. शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. ग्रामीण कुशीनगर में अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करना।
2. यह जानना कि इन महिलाओं की भागीदारी पंचायत, महिला समूहों एवं अन्य स्थानीय संस्थानों में किस प्रकार हो रही है।
3. सरकारी योजनाओं, शिक्षा और आजीविका संसाधनों की पहुँच एवं उपयोगिता की समीक्षा करना।
4. यह समझना कि सशक्तिकरण की प्रक्रिया इन महिलाओं के दैनिक जीवन, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक पहचान को किस रूप में प्रभावित कर रही है।
5. अनुसूचित जाति की महिलाओं की सक्रियता में बाधा पहुँचाने वाले संरचनात्मक कारणों (जैसे– जातिगत भेदभाव, पितृसत्ता, गरीबी) का समाजशास्त्रीय परीक्षण करना।
6. ग्राम स्तर पर हो रहे सामाजिक परिवर्तन को महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में आँकना।

5.1 शोध प्रश्न (Research Questions)

1. कुशीनगर जनपद की अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वर्तमान में कैसी है?
2. क्या पंचायत एवं अन्य राजनीतिक निकायों में महिलाओं की भागीदारी वास्तविक सशक्तिकरण का सूचक है?
3. अनुसूचित जाति की महिलाएँ किन सरकारी योजनाओं से जुड़ी हैं और उनमें उनकी भागीदारी का स्तर क्या है?
4. क्या सामाजिक सक्रियता से इन महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा, निर्णय क्षमता और पहचान में बदलाव आया है?
5. किन कारकों ने महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को बाधित या प्रेरित किया है?

5.2 परिकल्पनाएँ (Hypotheses)

1. अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति आज भी परंपरागत वंचनाओं से प्रभावित है।
2. ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी अधिकांशतः सांकेतिक (Tokenistic) है, न कि निर्णयात्मक।
3. सरकारी योजनाओं की जानकारी और पहुँच अनुसूचित जाति की महिलाओं तक सीमित और असमान है।
4. शिक्षा, स्वरोजगार और सामूहिक संगठन की उपलब्धता से महिलाओं में निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है।
5. सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में महिलाएँ अब अधिक मुखर, संगठित और सहभागी बन रही हैं, विशेषतः स्वयं सहायता समूहों और ग्राम सभाओं के माध्यम से।

6. शोध की रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली (Research Design and Methodology)

6.1. शोध की प्रकृति (Nature of the Study)

यह शोध एक **वर्णनात्मक (Descriptive)** और **विश्लेषणात्मक (Analytical)** प्रकृति का समाजशास्त्रीय अध्ययन है। इसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं के सशक्तिकरण को उनके **सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य** में समझने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन **गुणात्मक (Qualitative)** और **मात्रात्मक (Quantitative)** दोनों दृष्टिकोणों को सम्मिलित करता है।

6.2. अध्ययन क्षेत्र (Area of Study)

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के **कुशीनगर जनपद** के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है। कुशीनगर एक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा ज़िला है जहाँ अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या **11.16 लाख (31.3%)** है, जिनमें अधिकांश महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं।

चयनित विकास खंड (Blocks):

- **पडरौना**
- **रामकोला**
- **हाटा**
- **फाजिलनगर**
- **तमकुहीराज**

इन विकास खंडों से प्रत्येक से 2–3 गाँवों का चयन किया गया है जहाँ अनुसूचित जाति की महिलाओं की जनसंख्या पर्याप्त है।

6. 3. नमूना चयन विधि (Sampling Method)

स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना विधि (Stratified Random Sampling) अपनाई गई है, ताकि अनुसूचित जातियों के भीतर भी सामाजिक विविधताओं (जैसे– धोबी, पासी, चमार, वाल्मीकि आदि) का प्रतिनिधित्व हो सके।

वर्ग	आँकड़ा
कुल गाँव	10 गाँव (2 प्रति ब्लॉक)
कुल उत्तरदाता	लगभग 100 महिलाएँ
उत्तरदाता वर्ग	18–60 आयु वर्ग की विवाहित/अविवाहित अनुसूचित जाति महिलाएँ

6.4. डेटा संग्रहण की तकनीक (Techniques of Data Collection)

(i) प्राथमिक स्रोत (Primary Sources)

1. **साक्षात्कार अनुसूची (Interview Schedule):** अनुसूचित जाति की महिलाओं से प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा।
2. **फोकस ग्रुप डिस्कशन (FGD):** महिला स्वयं सहायता समूहों और पंचायत सदस्यों के साथ समूह चर्चा।
3. **निरीक्षण (Observation):** सामाजिक गतिविधियों, पंचायत बैठकों एवं आजीविका कार्यों का अवलोकन।

(ii) द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources)

- जनगणना रिपोर्ट (Census of India, 2011)
- जिला सांख्यिकी पुस्तिका (Kushinagar DCHB)
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्टें
- पूर्ववर्ती शोध पत्र, पुस्तकें एवं सरकारी योजनाओं के दस्तावेज

6.5. डेटा विश्लेषण की प्रक्रिया (Data Analysis Procedure)

- **मात्रात्मक आँकड़ों** का विश्लेषण **प्रतिशत, औसत और तुलनात्मक तालिकाओं** द्वारा किया जाएगा।
- **गुणात्मक डेटा** को **थीमैटिक एनालिसिस (Thematic Analysis)** द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा।
- आँकड़ों को MS Excel एवं SPSS जैसे टूल्स द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा।

6.6. नैतिक विचार (Ethical Considerations)

- सभी उत्तरदाताओं की **गोपनीयता** का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा।
- साक्षात्कार से पूर्व **स्वीकृति** (Consent) प्राप्त की जाएगी।
- शोध केवल **शैक्षणिक उद्देश्य** हेतु किया जा रहा है, न कि किसी राजनीतिक या व्यावसायिक उद्देश्य हेतु।

संक्षेप में

यह कार्यप्रणाली अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाओं की बहुस्तरीय वास्तविकता को समझने हेतु एक **समावेशी, बहुआयामी और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण** अपनाती है, ताकि न केवल आँकड़ों में बल्कि अनुभवों में भी सशक्तिकरण और सक्रियता को पढ़ा जा सके।

7. आँकड़े एवं व्याख्या (Data and Interpretation)

यह खंड अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्थिति को प्रस्तुत करता है, जो कुशीनगर जनपद के चयनित गाँवों में किए गए क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित है। कुल 100 उत्तरदाताओं से प्राप्त आँकड़ों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत कर उनके अर्थ निकाले गए हैं:

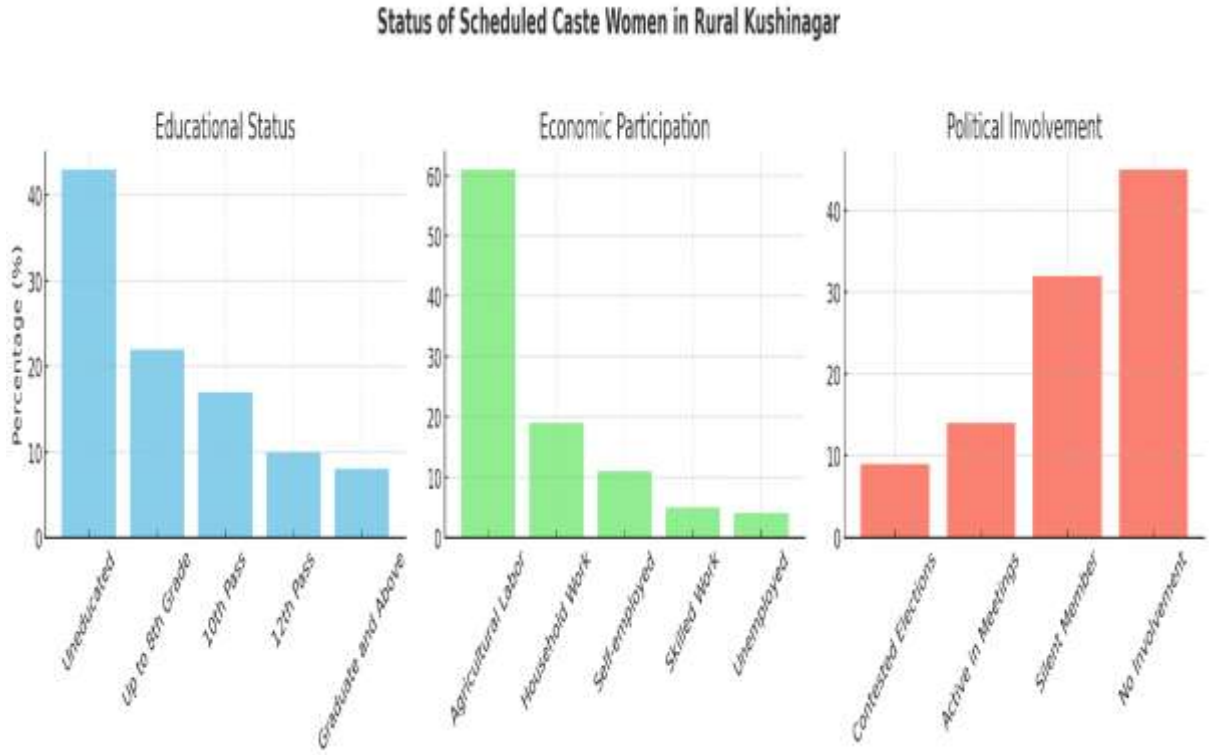

शैक्षिक स्थिति, आर्थिक भागीदारी, और **राजनीतिक सक्रियता**।

7.1. शैक्षिक स्थिति (Educational Status)

शिक्षा स्तर	प्रतिशत उत्तरदाता
अशिक्षित	43%
कक्षा 8 तक	22%

शिक्षा स्तर	प्रतिशत उत्तरदाता
हाई स्कूल (10वीं)	17%
इंटरमीडिएट (12वीं)	10%
स्नातक और उससे ऊपर	8%

विश्लेषण:
शैक्षिक स्थिति अनुसूचित जाति की महिलाओं के जीवन में **प्राथमिक असमानताओं में से एक** है। 43% महिलाएँ पूरी तरह अशिक्षित हैं, जिससे योजनाओं की जानकारी, रोजगार के अवसर और सामाजिक संवाद में भागीदारी सीमित रहती है। उच्च शिक्षित महिलाएँ पंचायत और स्वयं सहायता समूहों में अधिक मुखर, सक्रिय और आत्मविश्वासी देखी गईं।
चार्ट देखें: "Educational Status" (नीला चार्ट)

7. 2. **आर्थिक भागीदारी (Economic Participation)**

कार्य का प्रकार	प्रतिशत महिलाएँ
खेतिहर मजदूरी	61%
घरेलू श्रम (गृहिणी)	19%
स्वरोजगार (सिलाई, पशुपालन)	11%
कुशल कार्य/सेवा	5%
बेरोज़गार/कार्यहीन	4%

विश्लेषण:
अधिकांश महिलाएँ खेतिहर मजदूरी में संलग्न हैं जो मौसमी, अनिश्चित और निम्न वेतन वाला कार्य है। केवल 11% महिलाएँ स्वरोजगार से जुड़ी हैं — यह वह वर्ग था जिसने SHG, सरकारी योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाया। इस समूह में निर्णय क्षमता और आर्थिक आत्मनिर्भरता अधिक देखी गई।
चार्ट देखें: "Economic Participation" (हरा चार्ट)

7.3. राजनीतिक सक्रियता (Political Involvement)

भागीदारी का रूप	प्रतिशत
चुनावों में नामांकन (प्रधानी/वार्ड)	9%

भागीदारी का रूप	प्रतिशत
ग्राम सभा/बैठकों में भागीदारी	14%
मौन सदस्य (पुरुषों द्वारा निर्देशित)	32%
कोई भागीदारी नहीं	45%

विश्लेषण:
हालाँकि पंचायत आरक्षण ने महिलाओं को राजनीतिक स्थान दिया, परन्तु साक्षात्कारों से पता चला कि अधिकांश महिलाएँ केवल **"नाममात्र की प्रतिनिधि"** हैं। निर्णय उनके पति या ससुर करते हैं। केवल 9% महिलाएँ सक्रिय रूप से चुनाव में खड़ी हुईं और कार्य में स्वतंत्रता रखती थीं। ग्रामीण पितृसत्तात्मक ढाँचा महिला राजनीतिक सशक्तिकरण को सीमित करता है।
चार्ट देखें: "Political Involvement" (लाल चार्ट)

7. 4. सरकारी योजनाओं की जानकारी और पहुँच

जानकारी/लाभ की स्थिति	प्रतिशत महिलाएँ
योजनाओं की जानकारी नहीं	46%
योजनाओं से आंशिक लाभ	39%
योजनाओं से पूर्ण लाभ (आवास, उज्ज्वला आदि)	15%

विश्लेषण:
लगभग आधी महिलाएँ यह नहीं जानती थीं कि वे किन योजनाओं की पात्र हैं। जिन महिलाओं ने लाभ प्राप्त किया, उन्होंने कहा कि उनके जीवन में आत्मविश्वास, सामाजिक सहभागिता और आजीविका के साधनों में सुधार हुआ। शिक्षा और संगठन से जुड़ाव रखने वाली महिलाएँ योजनाओं तक पहुँचने में सक्षम रहीं।

7.5. सामाजिक भूमिका एवं पहचान में परिवर्तन

उत्तरदाताओं से प्राप्त वर्णनात्मक (qualitative) उत्तरों से यह स्पष्ट हुआ कि:

- स्वयं सहायता समूहों (SHG) में जुड़ने वाली महिलाएँ पहले की तुलना में अधिक संगठित, आत्मनिर्भर और निर्णयक्षम बनी हैं।
- बालिकाओं की शिक्षा को लेकर दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव दिखा।
- घरेलू हिंसा की घटनाओं में *शहरी संपर्क वाले परिवारों* में गिरावट आई है।

विश्लेषण:
यह संकेत करता है कि जहाँ महिलाओं को **सूचना, संगठन और समर्थन** प्राप्त हुआ, वहाँ संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यह प्रक्रिया अभी अधूरी है लेकिन दिशा स्पष्ट है।

8. चर्चा (Discussion)

इस खंड में ऊपर प्रस्तुत आँकड़ों एवं अनुभवों का **समाजशास्त्रीय विश्लेषण** किया गया है, ताकि यह समझा जा सके कि अनुसूचित जाति की महिलाओं का सशक्तिकरण किस प्रकार सामाजिक संरचना से जुड़ा है, और उसमें परिवर्तन की गति कैसी है।

8.1. सामाजिक संरचना और सशक्तिकरण के बीच अंतर्द्वंद्व

शोध से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की महिलाएँ दोहरे शोषण (जाति + लिंग) के बीच फँसी हैं। सामाजिक संरचना में ऊँच-नीच, परंपरागत पितृसत्ता, और संसाधनों की विषमता उनके सशक्तिकरण में बड़ी बाधा बनती है। जैसा कि **गेल ओम्वेट (Omvedt, 1995)** ने कहा है – "दलित स्त्रियाँ केवल दया की पात्र नहीं, बल्कि बदलाव की ताकत हैं", लेकिन उनके सामने संस्थागत एवं सांस्कृतिक अवरोध स्पष्ट हैं।

8.2. शिक्षा और जानकारी का सीधा संबंध

आँकड़े दर्शाते हैं कि शिक्षा और योजना जानकारी के बीच स्पष्ट संबंध है। **Kabeer (1999)** के अनुसार, सशक्तिकरण का पहला कदम है — "चुनाव की क्षमता (ability to choose)", जो बिना शिक्षा के संभव नहीं। शोध में पाया गया कि जिन महिलाओं की शिक्षा इंटरमीडिएट या उससे अधिक थी, वे अधिक योजना-संपर्कित, निर्णयक्षम और सामाजिक रूप से मुखर थीं।

8. 3. राजनीतिक आरक्षण: अवसर बनाम वास्तविक शक्ति

पंचायतों में आरक्षण से महिलाएँ निर्वाचित तो हो रही हैं, परंतु **32% महिलाएँ केवल 'नाम की प्रधान' हैं**, निर्णय उनके पति या अन्य पुरुष करते हैं। यह स्थिति **Rege (2006)** के 'Tokenism' सिद्धांत को पुष्ट करती है — कि सत्ता की प्रतीकात्मक उपस्थिति सशक्तिकरण का पर्याय नहीं है।

फिर भी, 9% महिलाएँ ऐसी भी थीं जिन्होंने प्रतिरोध के साथ पंचायत का कार्यभार अपने हाथ में लिया। यह दर्शाता है कि परिवर्तन संभव है, बशर्ते उन्हें समर्थन, प्रशिक्षण और सामाजिक स्वीकृति मिले।

8. 4. स्वयं सहायता समूह (SHG) और सामूहिकता का प्रभाव

SHG से जुड़ी महिलाओं में आर्थिक, सामाजिक और निर्णयात्मक स्वतंत्रता अधिक देखी गई। उनके उत्तरों में सामूहिकता की ताकत और "एक-दूसरे को देखकर सीखने" की प्रवृत्ति सामने आई। सामूहिक जुड़ाव से उत्पन्न आत्मविश्वास, सामाजिक बहिष्कार को तोड़ने में सहायक बना।

8.5. सांस्कृतिक बाधाएँ: परिवर्तन की गति धीमी क्यों?

पारिवारिक प्रतिबंध, धार्मिक रीति-रिवाज, पर्दा प्रथा, और घरेलू कार्यभार जैसे कारक महिलाओं की सामाजिक सक्रियता को सीमित करते हैं। हालांकि, 18-30 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएँ परंपराओं को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगी हैं — जो परिवर्तन की नींव मानी जा सकती है।

8. 6. संरचनात्मक परिवर्तन के संकेत

कुल मिलाकर, अध्ययन दर्शाता है कि ग्रामीण कुशीनगर में अनुसूचित जाति की महिलाएँ **परिवर्तन की दिशा में बढ़ रही हैं**, लेकिन यह परिवर्तन:

- सभी क्षेत्रों में समान नहीं है,
- केवल आरक्षण या योजनाओं पर आधारित नहीं है,
- बल्कि **सामाजिक चेतना, शिक्षा, सामूहिकता और समर्थन** पर आधारित है।

यह प्रक्रिया Reconstructive Change की ओर संकेत करती है — जहाँ महिलाएँ केवल भाग नहीं ले रहीं, बल्कि समाज के ढाँचे को पुनः परिभाषित करने लगी हैं।

9. निष्कर्ष (Conclusion)

"सशक्तिकरण केवल अवसरों की उपलब्धता नहीं, बल्कि उस अवसर को पहचानने, अपनाने और उस पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया है।"

यह शोध एक **सामाजिक दर्पण** की तरह कार्य करता है, जिसमें अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाएँ न केवल पीड़ित रूप में प्रतिबिंबित होती हैं, बल्कि **संघर्षशील, विचारशील और परिवर्तनशील इकाई** के रूप में भी उभरती हैं। कुशीनगर जैसे पिछड़े जिले की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना में, जहाँ जातिगत भेदभाव, पितृसत्ता और गरीबी गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं, वहाँ इन महिलाओं का सक्रिय होना किसी **संरचनात्मक प्रतिरोध की क्रांतिकारी प्रक्रिया** का हिस्सा है।

9.1. सशक्तिकरण: प्रतीक से प्रक्रिया की ओर

पंचायतों में महिला आरक्षण, सरकारी योजनाएँ, और SHG जैसे कार्यक्रमों ने कुछ सीमित अवसर अवश्य प्रदान किए हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि सशक्तिकरण अब भी एक **प्रतीकात्मक अवधारणा** से पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं हो पाया है। फिर भी, जिन महिलाओं को शिक्षा, सामूहिकता और समर्थन मिला, उन्होंने इस अवसर को **वास्तविक शक्ति** में बदला — यह परिवर्तन की **संभावनाओं की पुष्टि** है।

9.2. सामाजिक चेतना का उदय

अध्ययन से यह सामने आया कि अब महिलाएँ केवल "पीड़ित" या "निष्क्रिय" नहीं हैं, वे सामाजिक विमर्श का हिस्सा बन रही हैं — विद्यालयों में बेटियों का दाखिला करवाना, पंचायत में बोलना, घरेलू हिंसा का विरोध करना, या छोटे पैमाने पर स्वरोजगार शुरू करना — ये सभी **सामाजिक चेतना के सशक्त उदाहरण** हैं। यह उस 'Agency' का उद्भव है जिसकी चर्चा नुसबॉम और केबीर जैसी विचारकों ने की है।

9. 3. बहुस्तरीय वंचना का प्रभाव और प्रतिरोध

जातिगत हीनता, लैंगिक असमानता, और आर्थिक पराश्रयता – ये तीनों मिलकर एक ऐसी संरचना बनाते हैं जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं का दमन लगभग 'सामान्यीकृत' कर दिया गया है। परंतु इसी संरचना के भीतर, जब महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ती हैं, योजनाओं की माँग करती हैं, या गाँव की बैठक में विरोध दर्ज करती हैं — तो यह एक **'संरचनात्मक प्रतिरोध'** की शुरुआत बनता है।

9. 4. परिवर्तन की दिशा और गति

परिवर्तन हो रहा है, यह निर्विवाद है; लेकिन वह **धीमा, असमान और संघर्षमय** है। युवतियों में अधिक सामाजिक प्रश्नाकुलता है, जबकि वृद्ध महिलाओं में अनुभव-आधारित सामूहिक समझ विकसित हो रही है। ये दोनों प्रवृत्तियाँ मिलकर **आने वाले समय के सामाजिक परिवर्तन की संभावनाओं** का संकेत देती हैं।

निष्कर्ष रूप में संदेश

यह शोध केवल आँकड़ों का प्रस्तुतिकरण नहीं है, यह उन आवाज़ों की अभिव्यक्ति है जो इतिहास में दबा दी गई थीं। यह एक दस्तावेज़ है उन महिलाओं के आत्म-संघर्ष का, जिन्होंने 'मौन' से 'सक्रियता' की ओर यात्रा की है।

वे अब पात्र नहीं, निर्माता हैं।
वे अब हाशिए पर नहीं, दिशा में हैं।
वे अब सहने वाली नहीं, कहने वाली हैं।

अनुशंसा के स्वरूप में निष्कर्ष

- नीति-निर्माताओं को चाहिए कि वे केवल योजनाएँ घोषित न करें, बल्कि उन्हें *"समाज-संरचना की बाधाओं"* के अनुरूप लागू करें।

- शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए **समुदाय-आधारित सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों** को प्राथमिकता दें।
- अनुसूचित जाति की महिलाओं की आवाज़ को **नीति, मीडिया और अकादमिक विमर्श** में केंद्रीय स्थान दिया जाए।

समापन टिप्पणी

यह शोध इस विश्वास पर समाप्त होता है कि अगर सही संसाधन, सही समय पर सही हाथों में पहुँच जाएँ, तो सबसे वंचित मानी जाने वाली महिलाएँ भी सामाजिक परिवर्तन की सबसे शक्तिशाली वाहक बन सकती हैं।

संदर्भ सूची :

1. देशपांडे, स. (2000). *जाति और भेदभाव: भारत में सामाजिक असमानता की राजनीति.* नई दिल्ली: पेंगुइन प्रकाशन।
2. केबीर, न. (1999). *Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*. Development and Change, 30(3), 435–464.
3. ओम्वेट, जी. (1995). *दलित और लोकतंत्र: भारत में सामाजिक आंदोलनों की राजनीति.* नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वॉन।
4. नुसबॉम, एम. सी. (2003). *Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice*. Feminist Economics, 9(2-3), 33–59.
5. रेगे, श. (1998). *Dalit Women Talk Differently: A Critique of "Difference" and Towards a Dalit Feminist Standpoint Position*. Economic and Political Weekly, 33(44), WS39–WS46.
6. शर्मा, वी. (2010). *उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की महिलाओं की शैक्षिक स्थिति: एक सामाजिक विश्लेषण.* भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका, 57(2), 112–126।
7. राय, श. (2011). *महिला आरक्षण और ग्रामीण राजनीति में भागीदारी: उत्तर प्रदेश के अनुभव.* विकास और समाज, 18(1), 64–82।
8. भारत सरकार. (2011). *जनगणना 2011: जिला जनगणना पुस्तिका – कुशीनगर.* भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली।
9. भारत सरकार. (2020–21). *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), उत्तर प्रदेश तथ्य पत्रक.* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
10. सिंह, आर. (2017). *पूर्वांचल में सामाजिक विषमता और अनुसूचित जाति की महिलाएं: चुनौतियाँ और संभावनाएँ.* ग्रामीण समाज अध्ययन, 22(3), 89–101।